निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...576.....
दिनांक 03/02/2026

☎ 0612–2330035
✉ sfocumdirector-bih@gov.in

प्रपत्र–ड़ File No.-**89/2025(GA2025NP02349)**

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

Gautam Arun,
Partner-
Magadh Infratech

आवेदनकर्त्ता **वास्तुविद्, उमाशंकर कुमार** (विशिष्ट आई.डी.नं0 **CA/2011/54023**)

विषय :– **भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।**

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता **Gautam Arun** द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **Magadh Infratech, Partner-Gautam Arun, S/O-Lakshmi Narayan Mahto & Anurag Mehta, S/O-Anil Kumar, प्लॉट सं0–532, 607, 608, खाता सं0–162, थाना सं0–314, थाना–मुफ्फसिल, मौजा–अबगिला, जिला–गया,** अधिभोग **व्यावसायिक–सह–आवासीय,** उप श्रेणी **व्यावसायिक–सह–आवासीय,** भवन की ऊँचाई **45.95,45.0,39.0** (मीटर में) फर्श क्षेत्र **32154.78** वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या **(Block A & B=B1+B2+G+14), (Block C (Aff.House)=G+12)**, भवन के ब्लॉक की संख्या **3**, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **35**, लिफ्ट की संख्या **3**, फायर लिफ्ट की संख्या **2**, रैम्प की संख्या **2**, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **1**, फायर टावर की संख्या **1** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा–निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद्/भवन निर्माणकर्त्ता/भू–स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :–

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **8.05 मी0**, दक्षिण **15.71 मी0**, पूर्व **8.02 मी0**, पश्चिम **30.48 मी0**) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **1**, चौड़ाई **2.44** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **1**, चौड़ाई **2.51** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच–

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/ विनियमन/ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) **बनावट :–**

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग–अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) **सीढ़ी :–**

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईंट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस–पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) **अग्नि सुरक्षा प्रणाली** :– राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:–

(क) होज रील

(ख) वेट राईजर–सह–डाउन कमर सिस्टम (**04** अदद)

(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रींक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता **250000** लीटर

(ज) ओभर हेड वाटर टैंक की क्षमता **25000** लीटर प्रति ब्लॉक

(झ) एक पम्प हाउस **2280** एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, **180** एल.पी.एम. जॉकी पम्प, **900** एल.पी.एम. बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे– बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय–समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तो का पालन किया जाएगाा । कुछ शर्ते निम्न प्रकार हैं :–

(क) **लिफ्ट** :–

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रींक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रींक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग–अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान Vertical Enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे Enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक Vertical Openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :–

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टीलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग–अलग एयर हैंडलिग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन**– विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी–एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद्/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नकः–

1) वास्तुविद्, उमाशंकर कुमार,
2) अध्यक्ष, नगर निगम,

निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।
07 FEB 2026

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

MAGADH INFRATECH

Date: 10-05-2025

Partner – Gautam Arun at Near
Mehta Petrol Pump, Sikher
Manpur Gaya Bihar 823003

System Generated Auto Assessment for Height Clearance

1. Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR 751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations has assessed the site data filled by the applicant.

2. Assessment details for Height Clearance:

NOC ID :	**GAYA/EAST/B/042925/1673090**
Applicant Name*	**Vinay Kumar**
Site Address*	**Plot No – 532,607,608 Khata No – 162 Thana No – 314 Thana – Muffasil Mauza – Abgila Gaya Bihar**
Site Coordinates*	**24 48 12.55N 85 02 12.86E, 24 48 06.68N 85 02 12.89E, 24 48 12.66N 85 02 13.48E, 24 48 17.53N 85 02 13.94E, 24 48 06.62N 85 02 13.99E, 24 48 17.55N 85 02 14.47E**
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	**118 M**
Type Of Structure*	**Building**

*As provided by applicant

Your site is located at a distance 11376 mts from ARP and lies in the grid H19 of the published CCZM of Gaya airport. The Permitted top elevation for this grid is 256 mts.

Since the requested top elevation 173 mts in AMSL is below CCZM permitted top elevation, the NOC for height clearance is not required from Airports Authority of India.

3. This assessment is subject to the terms and conditions as given below:

a. The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If however, at any stage it is established that the actual data is different from the one provided by the applicant, this assessment will become invalid.

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site.In case of any discrepancy,this assessment shall be treated as null and void

c. Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that assessment terms & conditions are complied with.

d. The assessment is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft(Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules,1994.

e. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This assessment for height is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

f. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operations is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

g. This assessment has been issued w.r.t. the Civil Airports as notified in GSR 751(E). Applicant needs to seek separate NOC for Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport. Applicants also need to seek clearance from state Govt. as applicable, for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed civil aerodrome as outlined in Rule 13 of GSR751 (E).

This assessment is system auto generated and thus does not require any signature

Designated Officer

Region Name: EAST

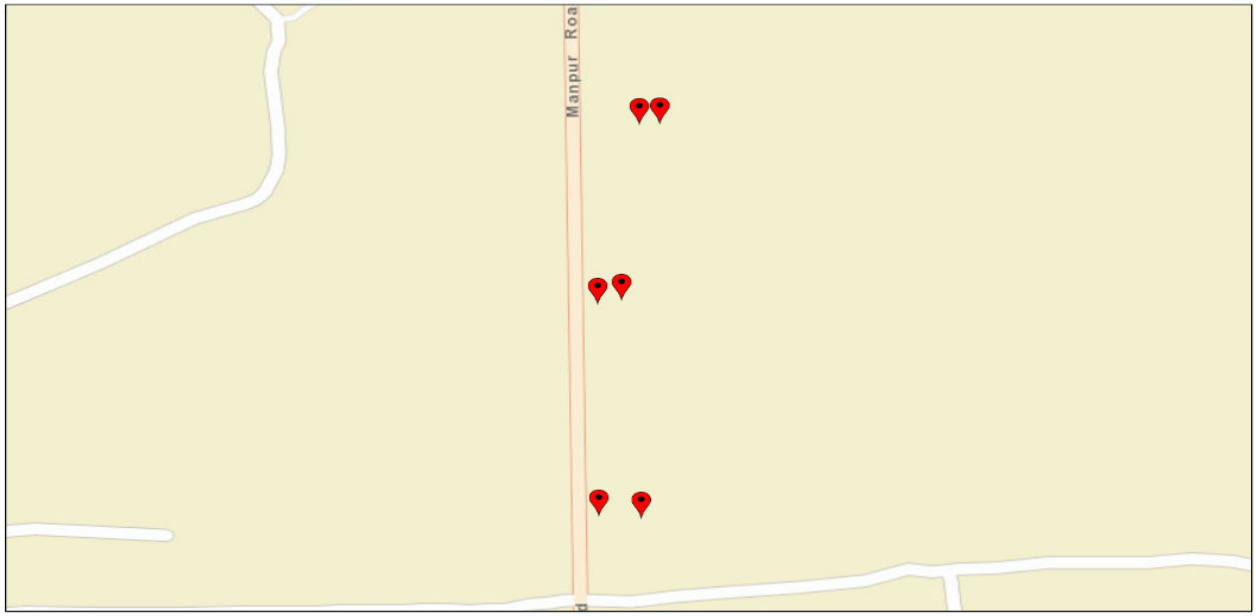
Address: General Manager Airports Authority of India, Regional Headquarter, Eastern Region, N.S.C.B.I Airport, Kolkata-700052

Email ID: gmatmer@aai.aero

Contact No: 033-25111293

ANNEXURE

Street View



April 29, 2025

1:3,600
0 0.03 0.06 0.11 mi
0 0.04 0.09 0.17 km

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

AAI

Satellite View



April 29, 2025

1:3,600
0 0.03 0.06 0.11 mi
0 0.04 0.09 0.17 km

Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

AAI

Serial No. 15352 Circle:-:NA Book No. :- 4 Deed No. 350

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

A 023280

Deed No. 350

Serial No. 15352

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, गया

नवीन कुमार मुद्रक विक्रेता
ला० नं०-106/95 गया
जिला कार्यालय, गया

कोषागार कार्यालय
मुद्रांक शाखा
21 AUG 2019

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **27/08/2019** को **Gautam Arun** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रू० **10000** मुद्रांक शुल्क एवं रू० **1250** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है। इसे दस्तावेज सं० **350** के रूप में पुस्तक सं० **4** की जिल्द सं० **6** के पृष्ठ सं० **135** से **144** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **10** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

बिहार सरकार

दिनांक– **27/08/2019**

दीक्षित नं० **15699 / 2019**

मिवा चौधरी
निबंधन पदाधिकारी

PARTNERSHIP-DEED

THIS DEED OF PARTNERSHIP is made on this

27th day of AUGUST 2019 between

T. 15699 27/8/19

दस्तावेज जाँचा।
27/8/19
मो० मोबीर अहमद

27/08/2019.

Sri GAUTAM ARUN aged **31** year's S/o – Sri Lakshmi Narayan Mahato R/o. – Mastalipur, P.o. – Baragandhar, P.s. – Muffassil, District – Gaya (Pin code – 823003), Bihar. PAN No. – ANHPA5119Q, Adhar No.– 8262 4078 8930, Mob.–9546754801, hereinafter called the **First Party.**

AND

Sri ANURAG MEHTA aged about **26** year's S/o – Sri Anil Kumar, R/o – Sikahar, P.o. – Baragandhar, P.s. – Muffassil, District – Gaya (Pin code – 823003), Bihar. PAN No. – FGTPM1724B, Adhar No. – 3329 5731 8634, Mob. 9472927041, hereinafter called the **Second Party.**

WHEREAS The Parties hereto mutually decided to start the business of Building Construction work and other construction or contract work for common benefit of all.

AND WHEREAS the parties further decided that the term and condition upon which they agreed to work in partnership be reduced in the writing. HENCE THIS DEED WITNESS and the parties mutually convenient and agreed as follows:-

1. That this Deed of Partnership shall be deemed to be effective and operative as 27th day of August 2019.
2. That the name and style of Business shall be called "M/S MAGADH INFRATECH " located and office at Mastalipur, Gaya Nawada Road, Near Mehta Petrol Pump, P.s. – Muffassil, Dist. – Gaya (Bihar).
3. That the nature of the business shall be Building Construction work and other construction or contract work but the nature & scope of the business may be extended or restricted with the mutual consent of all the partners.
4. That the capital of the business has been and shall be provided by the parties according to the need and exigency of the business.

27/08/2019.

2

5. That it has further been decided by the parties that the interest shall be paid to the partner's maximum @ 12% P.A. on the amount standing in the credit in books of the Firm.

6. That the bank loan or market loan or any type of loan from any person, institution may be decided for the purpose of the business with the mutual consent of all the parties.

7. That the parties shall agreed to share the profit or bear the loss of the business in the following proportion :-

(A)	Sri Gautam Arun	50%
(B)	Sri Anurag Mehta	50%

8. That it has been further mutually agreed and consented that all the parties will be working partners and in consideration of their service rendered by them shall be entitled to yearly remuneration as decided under the mutual consent.

9. That the books of account of the firm will be usually closed on financial year i.e. on thirty first day of March every year when the books of account will be closed and balance sheet will be prepared and profit or loss of the business ascertained and credit or debited in the respective account of the partners in the manner as per stipulation mentioned i.e. para no. 7 of this deed.

10. That the parties shall be free and faithful to each other in rendering accounts of the first and will not do or suffer any thing to be done which may be detrimental to the interest of the FIRM.

11. That it has further been agreed that the bank account of the firm will be operated by joint signature of the parties.

27/08/2019.

12. That it has further been agreed that all partners are managing partners and any managing partner will do the following act on behalf of Firm.

(A) Sign and file document.

(B) Received payment by signing the bills and Voucher & cheque.

(C) EN cash the bill and cheque.

(D) Sign and Executed agreement & document.

(E) Represent in any court of legal proceeding in any Govt. office or any public and revenue office concerning any matter of things of the Firm.

(F) Represent in bank for loan and in any public offices.

13. That no partner shall without the consent in writing of the other partner shall assign, mortgage or otherwise transfer his share of interest in partnership business to any other person.

14. That no partner shall be responsible for the personal depts on any other partner.

15. That the partner shall be just and faithful to each other in all transaction and all times be responsible to give the other true and faithful account of the affairs of the partnership.

27/08/2019.

16. That any partner may retire from the partnership by giving three months' notice in writing to the other partners of his intention to do so but such notice however will not necessary if he or she retires with the mutual consent and agreement of the other partners.

17. That the firm will not stand dissolved at the death or demise of any of the partner but may continue to be carries on with the heirs or legal representatives of the deceased partner or any other person on such terms and conditions as agreed upon. In case, the legal representative or the heirs of the deceased partner does not agree to become partner, will be considered to have retired from the partnership as from the date of his or her death and in such circumstances any thing standing to the credit of the deceased partner after final adjustment will be paid to the legal representative or the heir of the deceased partner.

18. That any of the partners may retire from the partnership business after giving three month notice in writing to the partner his intention to do so, the said partner shall have no share in profit or loss of the incomplete work.

19. That a new partner or partners may be taken into the FIRM with the mutual consent and agreement of all the partners.

20. That in the matter of difference and disputes among the partner in the matter of business affairs of the firm. The same may be referred to the ARBITRATOR / ARBITRATORS and the decision of ARBITRATOR / ARBITRATORS shall be final and bindings on all the partner.

21. That the partner shall be entitled to modify the any terms of this partnership by executing supplementary deed and such deed which executed shall have effect unless otherwise

provided from the first day of accounting period in which such supplementary deed is executed and same shall form part of this Partnership Deed.

22. That the duration of the partnership shall be at WILL.

23. That for the matter not specifically provided here in above provision of the Indian Partnership ACT 1932 as amended from time to time shall apply.

IN WITNESS WHEREAS OF THE PARTIES to the DEED here set and subscribed their respective hands on this deed on this DAY MONTH AND YEAR first above within in presence of this Witnesses.

27/08/2019.

Signature of Witness **Signature of Parties**

1. Avinash Kr. mehta
S/o Anil Kumar
Add - Vill - Sikhar
P.o - Bazoganthar
P.S - MUFFSIL
manpur, Gaya
ADHAR - 8553 5708 8125

1.

27/08/2019.

2. Shaeb-wan Kumar 2.
S/o. Madan Paswan
Mo. Manpur Gaya

Drafted by:-**RAVI KANT SINHA,DEED-WRITER GAYA. L.NO-166/2002**

Date:-**27/08/2019**

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '46'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 10000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper Rs. 5000/-
Amt.paid through Bank Challan Rs. 6250/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	1000	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na			
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	TOTAL-	1000		

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	250
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1250

Registering Officer
Gaya

Date: 27/08/2019

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Gaya on Tuesday, 27th August 2019 by Gautam Arun Lakshmi Narayan Mahto by profession Agriculture. Status - Executant

27/08/2019

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:27/08/2019**

Registering Officer
Gaya

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Avinash Kumar Mehta' age '30' Sex 'M', 'Anil Mehta', resident of 'R/O -Sikahar Ps-Moffasil Dist-Gaya'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 27/08/2019

Registering Officer
Gaya

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Gaya in Book 4 Volume No. 6 on pages on 135 -144, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-1 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

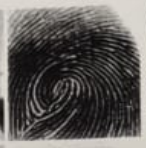
Date : 27/08/2019

Registering Officer
Gaya

Token No. : 15699 Year : 2019 S.No. : 15352 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 350

District Registry Office,Gaya

Token Number 15699 | Reg. Year 2019 | Serial Number 15352 | Deed Number 350

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Executant	Anurag Mehta						
Sig.	27/8/2019						
Presented By	Gautam Arun						
Sig.	27/08/2019						
Executant	Gautam Arun						
Sig.	27/08/2019						
Identified By	Avinash Kumar Mehta						
Sig.	Avinash Kr. Mehta S/O Anil Kumar 27/08/2019						

SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 3500sop019

27/08/2019.

आयकर विभाग
Income Tax Department

PAN VERIFICATION RECORD

Permanent Account Number

ANHPA5119Q

Name	GAUTAM ARUN
Gender	MALE
DOB	29/08/1988
Verified On	02/08/2019 16:24:31

DigiLocker Verified

Digitally Signed On:
02/08/2019 16:24:31 IST

Note:

1. This PAN data is verified by DigiLocker (https://digilocker.gov.in) as per data provided by the issuing authority, Income Tax Department, Govt. of India.
2. This digitally signed verification document is valid as per the IT Act 2000 when used electronically.

27/08/2019.

आयकर विभाग
Income Tax Department

PAN VERIFICATION RECORD

Permanent Account Number

FGTPM1724B

Name	ANURAG MEHTA
Gender	MALE
DOB	21/08/1993
Verified On	22/04/2019 09:42:01

DigiLocker Verified

Digitally Signed On:
22/04/2019 09:42:01 IST

Note:

1. This PAN data is verified by DigiLocker (https://digilocker.gov.in) as per data provided by the issuing authority, Income Tax Department, Govt. of India.
2. This digitally signed verification document is valid as per the IT Act 2000 when used electronically.

27/8/2019

निबंधन महानिरीक्षक, तथा फर्म के रजिस्ट्रार का कार्यालय, बिहार

Date of Registration:- 25/06/2025

No. F504

सत्यमेव जयते

फर्मो के रजिस्ट्रीकरण की अभिस्वीकृति

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन)

फर्म रजिस्ट्रार, बिहार इसके द्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा–58 (1) द्वारा विहित विवरण की प्राप्ति स्वीकार करते है।

विवरण प्राप्त कर लिया गया है और फर्म का नाम एवं पता M/S MAGADH INFRATECH

..Address - Near Mehta Petrol Pump, Mastalipur, Gaya Nawada Road P.S. - Mufassil.....

.....823003.....

फर्म रजिस्टर में संख्या:- F000173/2025 के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है।

प्राप्ति फीस का मेमो
मात्र 1000/- (एक हजार रुपया)

फर्म रजिस्ट्रार, निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।